न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 05/2021

जोगेन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह जाति मेघवंशी निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1 जसवन्त सिंह
2 बलकरण सिंह
3 कलवन्त सिंह
4 बलकिन्द्र सिंह
पुत्रगण आत्मा सिंह जाति मेघवशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5 मिश्री पुत्री आत्मासिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6 हरपालसिंह पुत्र बचन सिंह जाति मेघवंशी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवागमन का रास्ता दिलवाने बाबत।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 08.01.2021 से पुनः उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ।

प्रार्थना–पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपने पूर्वी वाद में पेश राजीनामा पर ही सहमत होना तथा प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता करीब 50 वर्षो से चलना व सभी काश्तकारों द्वारा अपनी साझा कृषि भूमि में आने जाने हेतु उपयोग किया जाना बतलाते हुए अपनी सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थी संख्या 6 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने पूर्व में पेश जवाब को ही रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार संगरिया से मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/19 दिनांक 08.01.2026 द्वारा निम्नानुसार मोका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:–

- मुताबिक़ रिकॉर्ड चक 2 एनटीडब्ल्यू (ए) चालू जमाबंदी संवत् 2070–73 के एकल खाता सं. 30/30 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह के नाम खाता की कुल 2.076 है मय गै.मु. कृषि भूमि, खाता 2/2 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह के सगे भाई आत्मासिंह के विधिक वारिसान कुलवन्त सिंह वगैरा के नाम 2.100 है. मय गै.मु. कृषि भूमि तथा खाता सं. 68/3 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह के नाम 1/3 हिस्सा कृषि भूमि, अप्रार्थी सं. 1 हरपाल सिंह के नाम 1/3 कृषि भूमि व मृतक आत्मा सिंह के विधिक वारिसान कुलवन्त सिंह वगैरा के नाम कुल 1/3 हिस्सा कृषि भूमि योग खाता 1.474 है. मय गै.मु. कृषि भूमि में दर्ज रिकॉर्ड है।
- प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि के लिए घरू रास्ता जो मु. न. 10 के कि न. 25, मु. न. 11 के कि. न. 7, 14, 17, 18, 21, 22 व मु. न. 24 के कि. न. 5, 6, 15, 16 में बना हुआ है, जिसे प्रार्थी के पिता बचन सिंह ने बनाया था, उक्त रास्ता करीब 50 वर्षो से चलना बताया है तथा जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा किया जाना बताया है। उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- अप्रार्थी सं. 2 ता 5 को अपनी कृषि भूमि मु. न. 11 के कि. न. 7, 14, 17, 18 में प्रार्थी के लिए रास्ता हेतु इसलिए सहमति प्रदान की गयी है चूंकि अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की कृषि भूमि मु. न. 24 के कि. न0 24, 25 में आवागमन हेतु प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह ने अपनी कृषि भूमि मु. न. 10 के कि. न. 25, मु. न. 11 के कि. न. 21 व मु. न. 24 के कि. न. 5, 6, 15, 16, में रास्ता की सहमति दी गयी है। उक्त रास्ता से केवल अप्रार्थी स. 1 हरपाल सिंह जिसके मौका कब्जा काश्त में मु. न. 11 का कि. न. 22/0.190 है. बताया गया। सहमत नहीं है।
- प्रार्थी की कृषि भूमि के नजदीक मु. न. 10 के कि. न. 15 व 16 से गुजरकर एनटीडब्ल्यू नहर के पास का रास्ता ही निकटतम कटानी रास्ता है परन्तु अगर यह रास्ता मंजूर किया जाता है तो खातेदार जसविन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह की कृषि भूमि दो टुकडों में विभक्त हो जायेगी और प्रार्थी की पारिवारिक सहमति से जो पूर्व में रास्ता स्वीकृत हुआ था उसे पुनः स्वीकृत नही करने से अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि का रास्ता बन्द हो जायेगा एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को पुनः रास्ता मंजूर करवाना पड़ेगा। जिससे अनावश्क मुकदमेंबाजी व झगडों में बढोतरी होगी।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावाली में अन्य दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 6 ने अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही गया है तथा प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ता मन्जूर शुद्वा रास्ते से जुड़ता है। जिससे न केवल प्रार्थी अपितू अप्रार्थीगण काश्तकारों हेतु भी सुविधा जनक है और प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 अवागमन भी कर रहे है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर की गई है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 सहमत होने तथा अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही करने के कारण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 को यथावत रखा जाता है और पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से रम होकर दाखिल दफतर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया